प्रति अंकित

बिहार सरकार,

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

अधिसूचना

जी0एस0आर0----------पटना, दिनांक-

सरकार की राय में गेहूँ की उपलब्धता एवं आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य में अधिप्राप्ति केन्द्रों का संचालन आवश्यक एवं समीचीन है ताकि बिहार राज्य के कृषक अपने उपज का सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समुचित लाभ प्राप्त कर सकें । अधिप्राप्ति का कार्य भारतीय खाद्य निगम के कय केन्द्रो के माध्यम से किया जायेगा ।

2. बिहार सहकारी समितियों अधिनियम, 1935 के तहत निबंधित प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स), बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, बिस्कोमान तथा नेफेड को भारतीय खाद्य निगम सहित रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत गेहूँ की अधिप्रप्ति करने हेतु अभिकरण के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है । पैक्स द्वारा किसानो से गेहूँ क्रय कर सीधे भारतीय खाद्य निगम को प्राप्त कराया जायेगा जिसके लिए जिला सहकारिता पदाधिकारी प्रवर्तन आदेश निर्गत करेंगे ।

3. गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के लिए अधिक से अधिक प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्सों) को प्रेरित एवं क्रियाशील कराना सुनिश्चित कराया जाय तथा पैक्सों का चयन इस प्रकार किया जाय कि जिला के लगभग सभी प्रखंड पैक्स के क्रय केन्द्र से आच्छादित हो जाय ।

4. उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग) भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र सं0 4(4)/2010 पी0वाई0 –I दिनांक – 18.11.2010 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत गेहूँ का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1120/– रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया है ।

5. रब्बी विपणन मौसम 2011–12 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यकम दिनांक– 15.04.11 से 31.07.11 तक के लिए प्रभावी होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के0 के0 अग्रवाल)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक– प्र4–र0वि0अधि0–02/2010 2404 /खाद्य,, पटना–15, दिनांक– 4.4.2011

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, गुलजारबाग, पटना–7 को अनुलग्नक सहित सूचना एवं गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस अधिसूचना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराते हुए गजट की एक सौ प्रतियाँ अद्योहस्ताक्षरी को शीघ्र भेजने की कृपा की जाय ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\2009\SEC_4\RMS.doc

(8)

ज्ञापांक— प्र4—र0वि0अधि0—02 / 2010 2404 / खाद्य,, पटना—15, दिनांक— 4.4.2011

प्रतिलिपिः— सरकार के सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लि0, बिहार, पटना / सभी जिला पदाधिकारी / निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना / निबंधक, सहयोग समितियां, बिहार, पटना / सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी / महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना / प्रबन्ध निदेशक, बिस्कोमान, पटना एवं शाखा प्रबन्धक, नेफेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/- 5/4/11

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक— प्र4—र0वि0अधि0—02 / 2010 2404 / खाद्य,, पटना—15, दिनांक— 4.4.2011

प्रतिलिपिः— मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / संयुक्त सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली / माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव / माननीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0/- 5/4/11

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक— प्र4—र0वि0अधि0—02 / 2010 2404 / खाद्य,, पटना—15, दिनांक— 4.4.2011

प्रतिलिपिः— सूचना पट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।

ह0/- 5/4/11

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जिला आपूर्ति शाखा, छपरा

ज्ञापांक 552 दिनांक 11-4-11

प्रतिलिपिः- क्षेत्रीय प्रबंधक, भा० खा० निगम छपरा / जिला प्रबंधक रा० खा० निगम छपरा / जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण, छपरा / प्रबंधक, बिस्कोमान छपरा, सारण को (अनुमण्डल पदा०, सदर / सोनपुर / मढ़ौरा) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 11/4/11

जिला आपूर्ति पदा०

सारण, छपरा

11.4.2011

D:\2009\SEC_FORMS.doc